सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, बिहार

प्रेस विज्ञप्ति

संख्या–850

कार्यपालक अभियंता को आर्थिक दण्ड

26–7–2010

पटना, 26 जुलाई :: :राज्य सूचना आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार राज्य सूचना आयुक्त डॉ0 शकील अहमद ने लोक सूचना पदाधिकारी सह कार्यपालक अभियंता (विद्युत), रोहतास, (सासाराम) को आर्थिक दण्ड लगाने का निर्णय लिया है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार सूचना आयुक्त ने आवेदक श्री कृपा शंकर तिवारी को ससमय सूचना नहीं देने तथा आयोग द्वारा भेजे गए नोटिस का जवाब नही देने के एवज में दिनांक 6. 7. 10 के प्रभाव से प्रतिदिन 250 रू0 के हिसाब से अधिकतम 25000 रू0 का आर्थिक दण्ड निर्धारित किया है। साथ ही 20. 5. 09 की मांगी गयी शेष सूचना को 29. 7. 10 तक उपलब्ध कराने का निदेश दिया है। आदेश की प्रति जिला पदाधिकारी, रोहतास को भेजते हुए निदेशित किया गया है कि विद्युत कार्यपालक अभियंता आपूर्ति प्रमंडल, रोहतास के वेतन से आर्थिक दण्ड की कटौती कर आयोग को मामले की अगली तिथि तक सूचित किया जाय।

ज्ञातव्य है कि इस मामले की अगली सुनवाई हेतु 5. 8. 10 की तिथि सुनिश्चित की गयी है।

––––––––––